

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया न.प.

/// केंद्रीय नीलामी सूचना पत्र ///

इस न्यायिक जिला स्थापना दतिया की केंद्रीय का संचालन निर्धारित शर्तों के अधीन करने हेतु देका दिया जाना है। जिसके संबंध में इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थान दिनांक 05.03.2016 को प्रायः 11:00 बजे न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर केंद्रीय संचालन के संबंध में सुली बोली/नीलामी में सम्मिलित हो सकते हैं।

केंद्रीय संचालन की शर्तें

- 01 नीलामी में उपस्थित व्यक्ति को 5000/- रुपये जिला बाज़िर के समक्ष अमानत राशि के रूप में जमा करना होगा उक्त राशि वापसी योग्य होगी।
- 02 माननीय उच्च न्यायालय दण्ड प्रदेश द्वारा "स्वच्छ न्यायालय अभियान" के अन्तर्गत साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
- 03 केंद्रीय का देका जिस बोलीकर्ता का स्वीकृत किया जावेगा उसे देके की राशि का 3 माह का किराया एक मुश्त अग्रिम जमा करना होगा।
- 04 देके की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जिला बाज़िर दतिया के पास जमा करनी होगी।
- 05 केंद्रीय का मासिक किराया राशि रुपये 10000/- विद्युत बिल पृथक से है। उक्त राशि से सबसे अधिक राशि की बोली स्वीकार की जावेगी।
- 06 केंद्रीय में ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे की शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।
- 07 केंद्रीय संचालन को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर लामवाटरपृथक से विद्युत बिल का भुगतान करना होगा।
- 08 केंद्रीय में विक्रय की जाने वाली सामग्री अमानक अथवा मिलावटी नहीं होनी चाहिए ज्ञांच के उपरान्त यदि खाद्य सामग्री मिलावटी अथवा अमानक पायी जाती है तो केंद्रीय का देका निरस्त किया जावेगा।
- 09 केंद्रीय देके का उपदेका नहीं दिया जा सकेगा।
- 10 केंद्रीय आवंटन के संबंध में एकमात्र विवेकाधिकारी जिला न्यायाधीश का होगा।
- 11 केंद्रीय देके की अवधि दो वर्ष की होगी।
- 12 केंद्रीय का देका स्वयं सदाप्त करने की दशा में अमानत राशि प्राप्त कर ली जावेगी साथ ही एक माह का किराया अग्रिम जमा करना होगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दतिया न.प.
01.02.16